मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 26, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री बाबूलाल गौर, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
(2) श्री कैलाश जोशी, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
(3) श्रीमती सुषमा स्वराज, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(4) श्री अरूण जेटली, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(5) श्री एस. जयपाल रेड्डी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(6) डॉ. जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(7) श्री राम जेठमलानी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(8) श्री लक्ष्मीनारायण नायक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(9) श्री मेहरबान सिंह रावत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(10) श्री राज बहादुर सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा
(11) श्री टी.एन. शेषन, भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे -

(क) मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019), तथा
(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019).

4. जुलाई, 2019 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 25 एवं 26 जुलाई, 2019 की प्रश्नोत्तर सूची तथा फरवरी, 2019 एवं जुलाई, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-2 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. सभा द्वारा यथापारित मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) के संबंध में राज्यपाल महोदय की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना, तदुपरांत पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक का पटल पर रखा जाना.

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री कुँवर सिंह टेकाम, सदस्य, सीधी जिले में ग्राम सड़क निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रवीण पाठक, श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर, सदस्य, प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को स्मार्ट कार्ड प्रदाय न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री विनय सक्सेना, सदस्य, मंडला एवं डिण्डोरी जिले में सौभाग्य योजना के तहत किये गये विद्युतीकरण के कार्य में अनियमितता की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 28 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 29 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 31 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2019